

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

## आदेश

राज्य सरकार के ज्ञापन क्रमांक F1(2) FD (Rules) 06 Part-1 Jaipur dated: 11 June 14 एवं 07-08-14 की अनुपालना में निम्नलिखित व्याख्याता (प्रोवेशनर-ट्रेनी) का चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार उनके नाम के सामने अंकित अवधि का असाधारण अवकाश राजस्थान सेवा नियमों के नियम-96 के अन्तर्गत एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है-

क्र.सं.	नाम व्याख्याता पदस्थापन स्थान	विषय	लिये गये अवकाश			दिनों की संख्या	प्रकार
			दिनांक	से	दिनांक		
1	राकेश तत्कालीन व्याख्याता- इतिहास राउमावि गोवला प्रधानाचार्य, राज उच्च माध्यमिक विद्यालय, उदावास - झुंझुनूं	इतिहास	12.09.07	से	14.09.07	03	अवैतनिक अवकाश
			25.09.07	से	28.09.07	04	
			03.10.07	से	06.10.07	04	
			09.10.07	से	11.10.07	03	
			02.07.08	से	10.07.08	09	
			17.07.08	से	25.07.08	09	
			07.08.08	से	08.08.08	02	
			14.08.08	से	14.08.08	01	
			18.08.08	से	19.08.08	02	
	योग				42		

वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक 07.08.14 के अनुसार 30 दिवस के अतिरिक्त लिए गये असाधारण अवकाश के कारण परिवीक्षाकाल अवधि में वृद्धि होगी।




(नथमल डिंडेल)

आई.ए.ए.स.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-2/आरपीएससी/इति-वाणि/स्थायीकरण/अवकाश/18-19 दिनांक-4/6/19  
प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक हेतु:-

1. उप शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान, जयपुर
2. संबंधित संयुक्त निदेशक
3. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मा)मुख्यालय/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी
4. संबंधित शाला/संस्था प्रधान/कार्मिक
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वेब साइट पर अद्यतन करने बाबत।
6. गार्ड फंजिका

  
संयुक्त निदेशक (कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान  
बीकानेर